"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]   रायपुर, गुरुवार दिनांक 29 नवम्बर 2012—अग्रहायण 8, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ-55/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1296.—दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को नगर पंचायत, खोंगापानी, जिला-कोरिया, छ.ग. के 3 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-55/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. विजय यादव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, खोंगापानी, जिला-कोरिया, छ.ग.

2. सत्तन पाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, खोंगापानी, जिला-कोरिया, छ.ग.

3. सुरीत साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, खोंगापानी, जिला-कोरिया, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 23 नवम्बर 2012

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला कोरिया (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत खोंगापानी के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 10 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत खोंगापानी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों विजय यादव एवं सत्तन पाल द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है. यद्यपि अभ्यर्थी सुरीत साहू ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया है, परन्तु निर्वाचन व्यय लेखा के साथ शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों विजय यादव तथा सत्तन पाल को कारण बताओ सूचना दिनांक 12 मार्च 2010 को तथा निर्वाचन व्यय लेखा के साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं करने वाले अभ्यर्थी सुरीत साहू को कारण बताओ सूचना दिनांक 11 फरवरी 2011 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में 15 दिवस में हेतुक दर्शाने की अपेक्षा की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों विजय यादव तथा सत्तन पाल को दिनांक 26 मार्च 2010 को एवं सुरीत साहू को दिनांक 4 मई 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी विजय यादव को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के उपरान्त भी उंनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: उक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है माना जाकर तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी सत्तन पाल ने अपना जवाब आयोग के समक्ष दिनांक 21 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि चुनाव के दौरान प्रतिदिन व्यय लेखा प्रस्तुत किया था किन्तु वे निर्धारित समयावधि में निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे जिसका कारण पत्नि का स्वास्थ्य खराब होने के कारण चल रहा इलाज, अचानक स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाने के कारण मानसिक रूप से व्यथित होना तथा व्यय लेखा जिसके सुपुर्द किया गया था उसके द्वारा अज्ञानतावश समयान्तर्गत जमा नहीं करना दर्शाया गया. इसके लिए उनके द्वारा क्षमा चाही गई है. साथ ही परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोषमुक्त कर पुन: निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु उनके द्वारा आग्रह किया गया. अभ्यर्थी द्वारा जवाब के समर्थन में पत्नि के इलाज से संबंधित मार्डन मेडिकल इंस्टिट्यूट लालपुर, रायपुर की चिकित्सा पर्ची दिनांक 27 अप्रैल 2009 की छायाप्रति संलग्न की गई है. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन क्र. 902, दिनांक 13 जून 2011 में अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी सत्तन पाल द्वारा दिनांक 8 जून 2011 तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में उसके विरुद्ध नियमानुसार निर्णय लिया जाने की अनुशंसा की गई. अभ्यर्थी को आयोग में दिनांक 28 सितम्बर 2011 को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. शपथपूर्वक कथन में अभ्यर्थी ने अपने जवाब में दर्शाई गई बातों को दोहराया एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त कर दोषमुक्त करने का निवेदन किया.

5. अभ्यर्थी सुरीत साहू ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब आयोग में दिनांक 5 मई 2011 को प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि अज्ञानतावश एवं चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् मनोबल टूट जाने के कारण निर्वाचन संबंधी निर्देश पुस्तिका को ठीक से समझ नहीं पाया था और शीघ्रता में निर्वाचन व्यय लेखा बिल की मूल प्रति सहित जिला कार्यालय में जमा कर दिया था. इस बाबत जिला कार्यालय से भी अलग से कोई जानकारी नहीं दी गई. अतः भूलवश शपथपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका. अभ्यर्थी द्वारा जवाब के साथ शपथपत्र की छाया प्रति संलग्न कर इसे स्वीकार करने का निवेदन किया गया है. अभ्यर्थी के जवाब के संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन क्र. 946, दिनांक 23 जुलाई 2011 में अभ्यर्थी के जवाब के संदर्भ में उसके विरुद्ध नियमानुसार निर्णय लिया जाने की अनुशंसा की गई है. इस पर अभ्यर्थी को आयोग में दिनांक 28 सितम्बर 2011 को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. शपथपूर्वक कथन में अभ्यर्थी ने दर्शाया कि उन्होंने अपना निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में दिनांक 5 जनवरी 2010 को जमा किया था लेकिन उसके साथ शपथपत्र जमा नहीं कर पाया जो बाद में दिनांक 5 मई 2011 को जमा कर दिया. अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन अभ्यर्थियों सत्तन पाल एवं सुरीत साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों विजय यादव, सत्तन पाल तथा सुरीत साहू ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विधि के अनुरूप विहित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

7. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत खोंगापानी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों विजय यादव, सत्तन पाल तथा सुरीत साहू ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया. अभ्यर्थी विजय यादव ने न तो निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया और न ही आयोग द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब प्रस्तुत किया, अतः आयोग को यह समाधान हो गया कि अभ्यर्थी विजय यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा ये इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं.

8. अन्य अभ्यर्थीगण सत्तन पाल एवं सुरीत साहू ने निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल करने में असफल रहने के संबंध में अपने जवाब पृथक-पृथक प्रस्तुत किये हैं. अभ्यर्थी सत्तन पाल ने निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने का जवाब तो प्रस्तुत किया है परन्तु निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं ली है बल्कि पुनः निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है. यद्यपि अभ्यर्थी सत्तन पाल ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने से संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत किया है परन्तु निर्वाचन व्यय लेखा आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया है. अभ्यर्थी की

रुचि अगर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में होती तो वह विद्यमान परिस्थितियों को दर्शाते हुए निर्वाचन व्यय लेखा स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता था परन्तु उसने ऐसा न करते हुए केवल पुन: निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है. सांविधिक समयसीमा पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति आयोग के पास नहीं है. अभ्यर्थी सत्तन पाल ने पत्नि की तबियत खराब होने से व्यथित होना बताया है परन्तु जो चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश किया है वह निर्वाचन के पूर्व का है जो सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से विचारणीय नहीं है. अत: अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद एवं समाधानकारक नहीं माना जा सकता है.

9. अभ्यर्थी सुरीत साहू ने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया. शपथपत्र के बिना निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण नहीं माना जा सकता है. इस संदर्भ में निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 उल्लेखनीय है जो निम्नानुसार है :—

"7. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जाना—**

(1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

(2) निर्वाचन व्ययों का लेखा, निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कंडिका-4 में संदर्भित निर्वाचन व्ययों का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, मूल रूप में;

(ख) निर्वाचन व्ययों का लेखा रजिस्टर में दर्ज प्रतिविष्टियों से संबंधित वाउचर, और

(ग) कंडिका-6 में संदर्भित निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

(3) निर्वाचन व्ययों का दिन प्रतिदिन का लेखा-रजिस्टर और निर्वाचन व्ययों का सार विवरण अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किये गए हैं, तो उन्हें दाखिल किये जाने के पहले, अभ्यर्थी द्वारा अधिप्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा वाउचर भी प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे.

(4) निर्वाचन व्ययों के लेखा के साथ प्रोफार्मा-ग में एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे शपथ-पत्र के बिना लेखा पूर्ण नहीं माना जाएगा."

अत: यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी सुरीत साहू ने अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया. इसका कारण उन्होंने अपनी अज्ञानता तथा निर्वाचन संबंधी निर्देश पुस्तिका को ठीक से न समझ पाना दर्शाया. यहां यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के संबंध में जारी निर्देश पुस्तिका प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक अभ्यर्थी से नियम पालन की अपेक्षा की जाती है. इसके पश्चात् किसी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की अज्ञानता या नियम की जानकारी न होने का तर्क प्रस्तुत करना उसके नियम पालन में छूट की पात्रता का आधार नहीं बन सकता. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद एवं समाधानकारक नहीं माना जा सकता है. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण सत्तन पाल तथा सुरीत साहू प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों विजय यादव, सत्तन पाल तथा सुरीत साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन साल एवं छ: माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

10. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 23 नवम्बर 2012 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.